आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Minority Development Department

Scholarship for students of minority communities pursuing Higher and Professional courses(DTE)

तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स के अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए सालाना 50,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, यदि परिवार की आय 8 लाख रुपये तक हो।

क्या मिल सकता है

तकनीकी कोर्स (शासन निर्णय का भाग I) के लिए अधिकतम 50,000 रुपये सालाना या वास्तविक ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस, जो कम हो, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से।

किसके लिए है

महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी, जैन या यहूदी) के विद्यार्थी जो प्रोफेशनल और तकनीकी कोर्स (डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर) में हैं, पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक।

मुख्य शर्तें

- भारतीय नागरिकता
- महाराष्ट्र का अधिवास
- SSC महाराष्ट्र से पास की हो
- संस्थान का वास्तविक विद्यार्थी, शासन निर्णय के अनुसार प्रोफेशनल या तकनीकी कोर्स में, CAP या संस्था स्तर से प्रवेश
- आप कोई अन्य छात्रवृत्ति या वृत्ति न लें
- परिवार या अभिभावक की कुल सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं

दस्तावेज़

- शैक्षणिक प्रमाणपत्र: SSC (10वीं) और उसके आगे के
- आय और अल्पसंख्यक घोषणा: गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र, या नियोक्ता का आय प्रमाणपत्र। स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र अल्पसंख्यक का प्रमाण हो सकता है, या स्व घोषणा
- स्थायी निवास का प्रमाण: अधिवास प्रमाणपत्र, चुनाव कार्ड या समान की प्रति
- नवीनीकरण के लिए: आय घोषणा और पिछली परीक्षा की अंकतालिका

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51A2C489D8FEE1DE79D3D179EC97AB141825125A9561892EF10
आधिकारिक आवेदन: https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mahadbt-scholarship-minority-communities-higher-professional-courses-dte/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।